

EDS (1) Approval orders- reg.

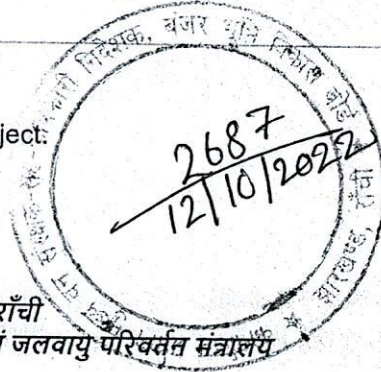
From: ROR MoEFCC (ro.ranchi-mef@gov.in)

To: ednodal@yahoo.in; prsecyfdjharkhand2013@rediffmail.com; ramesh.pandey@nic.in; pccf-jhk@gov.in

Date: Tuesday, 11 October, 2022 at 04:22 pm IST

Sir,

Kindly find the attached files herewith on the above mentioned subject.



With Regards,

Integrated Regional Office (IRO) - Ranchi / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय - राँची
Ministry of Environment & Forest Climate Change / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board,
Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Tel.: 0651-2410002/2410007

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



FP_JH_TRANS_50112_2020(Pt) EDS_0001.pdf
439.7kB



संख्या: FP/JH/TRANS/50112/2020(Pt) / 604

दिनांक: 11/10/2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झारखण्ड सरकार,

नेपाल हाउस, राँची - 834002.

विषय:- 132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 29.8774 हे० एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 23.3355 हे० कुल 53.2129 हे० वन-भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

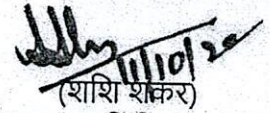
महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-वन भूमि-23/2022-2690(ई)/व०प० दिनांक 12.09.2022 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव के जाँचोपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेजों/जानकारी को अपलोड कराने की आवश्यकता है:

- I. Duly attested Part-II of Chatra South Forest Division of form A.
- II. The kml file of total proposed forest land for diversion.
- III. The kml of total alignment and alternative routes of transmission line.
- IV. As per DSS analysis, it appears that proposed forest land for diversion has been violated by User Agency. If, yes, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/submitted to this office along with the explanation why forest department could not assess the violation while processing the application.
- V. Two cost benefit analysis are uploaded which is ambiguous.
- VI. Undertaking in respect of CWLW recommendation by user agency as well as the draft framework for mitigative measures/plans too should be submitted alongside.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज / जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित किया जाए।

आपका विश्वासभाजन


(शशि शंकर)

सहायक वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह - नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची।


सहायक वन महानिरीक्षक

कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1076

दिनांक 17/10/2022

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल/वरीय प्रबंधक M/s JUSNL, ट्रांसमिशन प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय में शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

128
14.10.22